रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 643] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 789(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 123 में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2016 को और उसके पश्चात् किसी मोटर साइकिल पर किन्हीं मदों का वहन के लिए 550 मि.मी. लंबाई, 510 मि.मी. चौड़ाई और 500 मि.मी. ऊंचाई से अनधिक का बक्सा फिट किया जा सकेगा :

परंतु यह भी कि किसी ऐसी मोटर साइकिल पर, जिस पर पूर्वोक्त परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट बक्सा फिट किया गया है, किसी पिछली सवारी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

[सं. आरटी-11036/53/2012-एमवीएल]

अल्केश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 677(अ), तारीख 03-09-2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2015

G.S.R. 789(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001, within the period specified above.

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified will be taken into consideration by the Central Government;

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 123, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that on and after the 1st day of April, 2016, a box not exceeding 550 mm in length, 510 mm in width and 500 mm in height may be fitted on a motor cycle for carriage of any items:

Provided also that no pillion rider shall be allowed on a motor cycle on which a box as specified in the above proviso has been fitted.".

[No. RT-11036/53/2012-MVL]

ALKESH KUMAR SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 677(E) dated 03-09-15.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.